[2018] 3 एस. सी. आर 601

सीताराम

वी.

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 1200)

मार्च 06,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

राजस्थान नगरपालिका चुनाव याचिका नियम, 2009:

आरआर। 3 (5) (घ) और 7 (3)-नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव-चुनाव याचिका दायर करके चुनौती दी गई

आर का अनुपालन न करने के लिए चुनाव याचिका की अस्वीकृति की मांग करने वाला आवेदन। 3 (5) (घ)-निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा खारिज आवेदन-न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने कहा कि

आवेदन विचारणीय नहीं था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः आर. 3 (5) (डी) आदेश देता है कि चुनाव याचिका कोषागार के साथ होनी चाहिए।

नियमों का गैर-अनुपालन इसलिए, चुनाव न्यायाधिकरण था चुनाव याचिका-चुनाव कानूनों को अस्वीकार करने के लिए कानून में बाध्य।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

नियम 'साथ' है और 'साथ' शब्द का अर्थ है सह-मौजूद है या साथ चलते हैं। अलगाव या अलगाव नहीं हो सकता है। चुनाव याचिका के साथ कोषागार भी होना चाहिए

चालान और ट्रेजरी चालान के साथ खजाने में जमा करना पड़ता है। [पैरा 37] [625-बी-सी]

2. ऐसा कोई नियम नहीं है जो मांग करने के बाद चुनाव याचिका में चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष राजकोषीय चालान दाखिल करने का निर्देश देता हो। चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय अनुमति। अनुमति, यदि कोई हो, तो पहले ली जा सकती है। [पैरा 37] [625-ई]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुलाब सिंह बनाम। मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और अन्य 1981 डब्ल्यू. एल. एन. (यू. सी.) 78; बजरंग लाल बनाम।

कन्हैया लाल और अन्य आरएलडब्ल्यू 2007 (2) राज 1551 -

पर भरोसा किया।

3. राजस्थान नगरपालिका चुनाव याचिका नियम, 2009 का नियम 7 न्यायाधीश के पास याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है। इस प्रकार, दोनों नियमों में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए, ट्रेजरी चालान जमा करना, जिसका अर्थ है कि चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय ट्रेजरी में आवश्यक राशि जमा करना अनिवार्य है। इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि कोई वैध चुनाव याचिका नहीं थी

प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में चुनाव न्यायाधिकरण बाध्य था चुनाव याचिका को अस्वीकार करने के लिए कानून। [पैरा 38] [625-एच; 626-ए]

चरण लाल साहू बनाम। फखरुद्दीन अली अहमद और अन्य

चरण लाल साहू बनाम। नंदकिशोर भट्ट और अन्य (1973) 2 एस. सी. सी. 530; एलतेमेश रीन बनाम। चंदूलाल चंद्राकर और अन्य (1981) 2 एस. सी. सी. 689-पर निर्भर थे। के. कामराज नादर बनाम। कुंजू थेवर और अन्य

[1959] एससीआर 583 एआईआर 1958 एससी 687; चंद्रिका

ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 837 [1959] 2 पूरक। एस. सी. आर. 516; बुधि नाथ झा बनाम। मणिलाल जाधव (1960) 22 ई. एल. आर. 86; एम. वाई. घोरपड़े बनाम शिवाजी राव एम. पोल और अन्य (2002) 7 एस. सी. सी. 289; टी. एम. जैकब बनाम सी. पौलोस और अन्य (1999) 4 एस. सी. सी. 274; डॉ. शिप्रा और अन्य बनाम। शांति

लाल खोईवाल और अन्य (1996) 5 एस. सी. सी. 181;

मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम। रूप सिंह राठौर और अन्य ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1545 [1964] 3

(2013) 4 एस. सी. सी. 776; अनिल वासुदेव सलगांवकर बनाम। नरेश कुशाली शिगांवकर (2009) 9 एस. सी. सी 310-आयोजित अप्रयोज्य।

सीताराम वी. राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

(1973) 2 एस. सी. सी. 530

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[1959] एससीआर 583

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 14

(1975) 4 एस. सी. सी. 832

पीछा किया।

पै

रा 16

(1981) 2 एस. सी. सी. 689

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[1959] 2 पूरक। एससीआर 527

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 19

(1983) 2 एस. सी. सी. 473

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 21

अप्रयोज्य रखा गया

[1959] 2 एससीआर 516

पै

रा 23

(1960) 22 ईएलआर 86

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 23

अप्रयोज्य रखा गया

(2002) 7 एससीसी 289

पै

रा 24

(1999) 4 एस. सी. सी. 274

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 26

(1996) 5 एससीसी 181

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 26

अप्रयोज्य रखा गया

[1964] 3 एससीआर 573

पै

रा 27

(2013) 4 एस. सी. सी. 776

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 28

1981 डब्ल्यूएलएन (यूसी) 78

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

अप्रयोज्य रखा गया

(2009) 9 एस. सी. सी 310

पै

रा 37

आरएलडब्ल्यू 2007 (2) राज 1551

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1

2018 से।

उच्च न्यायालय के 03.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8238 में जयपुर पीठ में राजस्थान के लिए न्यायपालिका।

महावीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आदित्य सिंह, राजीव दलाल, अवध

यादव, गगनदीप, अपीलार्थी के वकील।

सुशील कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत जैन, प्रवीण चौधरी

सुश्री क्रिस्टी जैन, अभिनव गुप्ता, सुश्री प्रियल जैन, सुश्री याशिका शार हर्ष जैन, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था दीपक मिश्रा, सीजेआई। 1. एकमात्र मुद्दा जो उत्पन्न होता है

2016 की चुनाव याचिका संख्या 55 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, किशनगढ़, जिला अजमेर (जिसमें बाद में "चुनाव न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 23.05.2017, जिसके तहत चुनाव न्यायाधिकरण ने आदेश VII नियम 11 (डी) और (ई) सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) की धारा 151 के साथ पठित आदेश XIV नियम 2 के तहत दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी कि राजस्थान का अनुपालन नहीं किया गया था। नगरपालिका चुनाव याचिका नियम, 2009 (जिसे बाद में "2009 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो चरित्र में अनिवार्य हैं।

2. अनावश्यक विवरणों के अभाव में, बताए जाने के लिए आवश्यक तथ्य

यह है कि अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी को नगरपालिका वार्ड संख्या के लिए चुना गया था। 28 और 45 क्रमशः नगर परिषद, किशनगढ़ के।

नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 45 वार्ड सदस्यों में से किया जाना है और उक्त पद ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी दोनों ही ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित हैं। चुनाव 21.08.2015 पर आयोजित किया गया था। निर्वाचन अधिकारी द्वारा गिने गए मतों के अनुसार अपीलार्थी को 23 मत प्राप्त हुए और प्रथम प्रतिवादी को 18 मत प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

चुनाव को चुनौती देते हुए, 2015 की चुनाव याचिका संख्या 180 प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्वाचित उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की गलती से गिनती की गई थी, हालांकि वे खारिज किए जाने के योग्य थे।

कागज जो

यह आधार कि 11 मतदाताओं ने मतपत्र पर ऐसे निशान छोड़े थे, उनकी पहचान कर सकता है। उक्त आरोप के अलावा, कुछ अन्य पहलुओं का भी अनुरोध किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि रुपये की राशि। 1,000 / - कानून के अनुसार चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष जमा किया गया था।

3. चुनाव याचिका का जवाब दाखिल करने के बाद, अपीलार्थी ने एक याचिका दायर की

2009 के नियमों के नियम 3 (डी) का पालन न करने के कारण चुनाव याचिका की अस्वीकृति के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन। उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य आधार चुनाव याचिका को अस्वीकार करने का भी आग्रह किया गया था, लेकिन चूंकि उक्त आधारों का हमारे सामने प्रचार नहीं किया गया है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

सीताराम वी. राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

एक चुनाव याचिका दायर करके चुनाव, जिसके साथ रुपये का राजकोषीय चालान होना आवश्यक है। 1,000 / - और 2009 के नियमों के नियम 7 (3) के अनुसार चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य है जो प्रावधानों का पालन नहीं करता है। उक्त नियमों में से। यह दलील दी गई थी कि हालांकि पहले प्रतिवादी ने 09.09.2015 पर चुनाव याचिका दायर की थी, फिर भी इसके साथ रुपये का राजकोषीय चालान नहीं था। 1,000 / - और उसी की पुष्टि करने के लिए, निर्भरता रखी गई थी

चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 16.09.2015 के आदेश पर जिसमें उसने चुनाव याचिकाकर्ता को राशि जमा करने की अनुमति दी थी। यही बात दिनांकित 17.9.2015 के क्रम से भी समझ में आती है। अस्वीकृति के आवेदन का चुनाव याचिकाकर्ता ने इस आधार पर विरोध किया कि उसने अदालत के समक्ष रुपये के चालान की रसीद दाखिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। 1,000 / - और बाद में राशि जमा की गई और इसलिए, चुनाव याचिका की अस्वीकृति के लिए आवेदन योग्य नहीं था

विचार करें।

5. चुनाव न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि राशि 16.08.2015 पर जमा की गई थी और आगे जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता ने दायर किया था अदालत में एक आवेदन और अदालत के निर्देश के तहत, उक्त राशि जमा की गई थी और अदालत में उसकी रसीद दायर की गई थी, आदेश VII नियम 11 के तहत उठाया गया आधार आधारहीन था और स्वीकृति के योग्य नहीं था।

6. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और चुनाव से पहले आग्रह किए गए आधारों को दोहराया। न्यायाधिकरण। उच्च न्यायालय, जैसा कि विवादित आदेश से स्पष्ट है, ने 2009 के नियमों में उत्कीर्ण प्रावधान की प्रकृति के प्रश्न का विज्ञापन नहीं किया और कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या सीमा की अवधि के भीतर चालान जमा करने के बावजूद चुनाव याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी थी क्योंकि आदेश VII नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत आवेदन, जिसमें जमीन पर आंदोलन किया गया था, बनाए रखने योग्य और गलत निर्देश था। इस दृष्टिकोण के कारण, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ता चुनाव याचिका के खिलाफ अपने लिखित बयान में सभी बचावों को आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें इसकी स्थिरता भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. हमने श्री महावीर सिंह को सुना है, जिनके लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं अपीलार्थी, और श्री सुशील कुमार जैन, प्रथम प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील थे।

8. चूंकि विवाद 2009 की व्याख्या पर आधारित है। नियम, उक्त नियमों की प्रकृति और चरित्र को स्कैन करना और समझना आवश्यक है। 2009 के नियमों का नियम 3 चुनाव याचिका से संबंधित है। नियम 3 (3) उन आधारों का प्रावधान करता है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति का चुनाव नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य से पूछताछ की जा सकती है। उक्त नियमों के नियम 3 (5) में चुनाव याचिका की आवश्यकताओं का प्रावधान है। उक्त नियम, प्रासंगिक होने के कारण, नीचे निकाला गया है:

" नियम 3 (5)। एक चुनाव याचिका -

(क) इसमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

(ख) किसी भी भ्रष्ट प्रथा का पूरा विवरण देगा कि - याचिकाकर्ता का आरोप है, जिसमें कथित व्यक्ति के नाम भी शामिल हैं इस तरह की भ्रष्ट प्रथा और तारीख और स्थान इस तरह के अभ्यास का आयोग;

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (का केंद्रीय अधिनियम 5) 1908) अभिवचनों के सत्यापन के लिए। कोई अनुसूची या अनुलग्नक याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें सत्यापित किया जाएगा। याचिका के समान ही, और

(घ) एक रुपये का ट्रेजरी चालान साथ में होगा। एक हजार "।

[जोर दिया गया]

9. 2009 के नियमों का नियम 7 न्यायाधीश के निर्णय से संबंधित है।

जैसा कि हम केवल नियम 7 के उप-नियम (3) से संबंधित हैं, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(3) न्यायाधीश एक चुनाव याचिका को खारिज कर देगा, जो ऐसा नहीं करती है इन नियमों के प्रावधानों का पालन करें।

[रेखांकित करना हमारा है] सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

10. यह श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उपस्थित वरिष्ठ वकील हैं।

अपीलार्थी के लिए, कि नियम 3 (5) (डी) के अनुसार, यह अनिवार्य है कि एक चुनाव याचिका के साथ एक राजकोषीय चालान होना आवश्यक है रु. 1,000 / - और यदि उक्त अपेक्षा का पालन नहीं किया जाता है, तो न्यायाधीश की ओर से चुनाव याचिका को खारिज करना अनिवार्य है। वह आग्रह करेंगे कि जमा न करने का तथ्य अभिलेख का विषय है और संबंधित नियम में प्रयुक्त भाषा अनिवार्य है और इसलिए, चुनाव न्यायाधिकरण ने याचिका को खारिज करने में पूरी तरह से गलती की और उच्च न्यायालय इसमें निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा।

उसी की ओर इशारा करते हुए।

11. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जैन ने तर्क दिया कि 2009 के नियमों में इसके लिए कोषागार चालान दाखिल करने का प्रावधान है।

जमा करना और कोषागार चालान दाखिल करने और जमा करने के बीच अंतर है। वह प्रस्तुत करेगा कि न्यायालय में जमा करने के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक है सामान्य नियम (सिविल), 1986 (इसके बाद "1986 नियम" के रूप में संदर्भित) जो राजस्थान राज्य में प्रचलित है। अन्य निर्णयों के अलावा, उन्होंने 2016 के सिविल रिट (सी. डब्ल्यू.) संख्या 7637 में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.08.2016 के फैसले की सराहना की है।

12. जमा करने के तरीके और 1986 के नियमों के तहत प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, कुछ बातों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। अधिकारी जिन्होंने चुनाव याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित प्रिस्क्रिप्शनों पर काम किया है।

13. चरण लाल साहू बनाम। नंदकिशोर भट्ट और अन्य ', न्यायालय धारा 117 में निहित प्रावधानों पर विचार कर रहा था

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, "1951 अधिनियम") जिसके लिए आवश्यक है कि एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार याचिका की लागत के लिए प्रतिभूति के रूप में दो हजार रुपये की राशि उच्च न्यायालय में जमा करेगा और यह उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाकर्ता को लागत के लिए ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देने के लिए कहने की शक्ति भी प्रदान करता है जो वह निर्देश दे। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 1951 के अधिनियम की धारा 117 केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और रु। 2000 / - केवल चुनाव याचिका के मुकदमे के दौरान लागत को सुरक्षित करने के लिए है। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। दोनों-न्यायाधीश

1 '(1973) 2 एस. सी. सी. 530 [2018] 3 एस. सी. आर.

पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) का उल्लेख किया जो यह प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए किसी भी चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, सिवाय उस प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के माध्यम से और उस तरीके से जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जाए। आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने कहाः

" 3. ..... प्रदत्त अधिकार एक वैधानिक अधिकार होने के कारण, उस क़ानून की शर्तों का पालन किया जाना था। चुनाव को चुनौती देने के लिए किसी भी सामान्य कानून के अधिकार का कोई सवाल ही नहीं है। याचिका की प्रस्तुति में देरी को माफ करने या याचिकाकर्ता को लागत के लिए प्रतिभूति के भुगतान से मुक्त करने का कोई भी विवेकाधिकार केवल चुनाव विवादों को नियंत्रित करने वाले क़ानून के तहत प्रदान किया जा सकता है। यदि इनमें से किसी भी मामले के संबंध में कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, तो किसी भी सामान्य कानून के तहत या समानता के किसी भी सिद्धांत पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में मतदान करने या खड़े होने का अधिकार नागरिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानून या विशेष कानून का एक हिस्सा है और इसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होना चाहिए। एन. पी. में पोन्नुस्वामी बनाम। निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र 2 को यह बताया गया कि कड़ाई से कहें तो, अपने सदस्यों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों की जांच और निर्धारण करना विधानमंडल का एकमात्र अधिकार है, और यदि विधानमंडल इसे अपने हाथों से लेता है और एक विशेष न्यायाधिकरण में पूरी तरह से नए और अज्ञात अधिकार क्षेत्र में निहित होता है, तो उस विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए।

उस कानून के अनुसार जो इसे बनाता है।

14. प्रावधान में आदेश, अदालत ने राय दी, धारा के तहत आवश्यक चुनाव याचिका के साथ प्रतिभूति जमा करने का।

117 1951 के अधिनियम के तहत अदालत के पास चुनाव याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने के. कामराज नादर बनाम में अधिकार को अलग किया। कुंजू थेवर और अन्य 3 जहां 1951 के अधिनियम की धारा 117 के अपरिवर्तित प्रावधान के तहत चुनाव याचिकाकर्ता ने सरकारी खजाने में राशि जमा की थी, लेकिन न तो इसमें खाते के पूरे शीर्ष का उल्लेख किया था।

सरकारी कोषागार रसीद और न ही जमा राशि निर्वाचन आयोग के सचिव के पक्ष में की गई थी जैसा कि उपरोक्त धारा में प्रावधान किया गया है। के. कामराज नादर (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने असंशोधित धारा 117 की व्याख्या करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया थाः

2 1952 एससीआर 218: ए. आई. आर 1952 एस. सी. 64 3 3 1959 एस. सी. आर. 583: ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 687 सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" 31. ..... यह कल्पना करना बेतुका होगा कि चुनाव आयोग के पक्ष में सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक में की गई जमा राशि धारा 117 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगी और इसमें धारा 85 या धारा 90 (3) के तहत याचिका को खारिज करना शामिल होगा। उपरोक्त चित्रण यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि धारा 117 में उपयोग किए गए शब्द "चुनाव आयोग के सचिव के पक्ष में" निर्देशिका हैं और उनके चरित्र में अनिवार्य नहीं हैं। धारा 117 में निहित प्रावधान का सार यह है कि - याचिकाकर्ता को याचिका के खर्च के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करनी चाहिए, और याचिका के साथ एक सरकारी कोषागार रसीद संलग्न करनी चाहिए जिसमें दिखाया गया है कि उसके द्वारा एक हजार रुपये या तो सरकारी कोषागार में या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए गए हैं, जो चुनाव आयोग के पास कानून द्वारा अधिकृत तरीके से उपयोग करने के लिए है और उसके नियंत्रण में है और चुनाव आयोग या विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति को उस ओर से किए जा रहे उचित आवेदन पर देय है।

उसी को प्राप्त करने के लिए, वह चुनाव का सचिव हो

कमीशन या कोई और।

32. यदि, इसलिए चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि सरकारी कोषागार रसीद या चालन जो याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त की गई थी और उसके द्वारा चुनाव आयोग को प्रस्तुत अपनी याचिका के साथ संलग्न की गई थी, ऐसी थी कि चुनाव आयोग उस ओर से एक आवश्यक आवेदन पर सफल पक्ष को लागत के भुगतान के लिए एक हजार रुपये की उक्त राशि प्राप्त करने की स्थिति में हो सकता है, तो यह धारा 117 की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा। ऐसा कोई शाब्दिक नहीं है। धारा 117 की शर्तों का अनुपालन बिल्कुल भी आवश्यक है जैसा कि हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है।

15. जैसा कि पहले कहा गया है, उक्त निर्णय को अलग किया गया था और यह उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ में किए गए विश्लेषण से स्पष्ट है।

16. इस संदर्भ में, चरण लाल साहू बनाम में संविधान द्वारा निर्णय का संदर्भ। फखरुद्दीन अली अहमद और अन्य

सक्रिय हैं। उक्त मामले में, याचिकाकर्ता का नामांकन धारा 5-बी और 5-सी का पालन न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952

1974 के अधिनियम 5 द्वारा किया गया संशोधन। धारा 5-सी (1) की अपेक्षा है कि एक उम्मीदवार को चुनाव के लिए विधिवत नामित नहीं माना जाएगा जब तक कि वह दो हजार पांच सौ की राशि जमा नहीं करता है या जमा नहीं कराता है।

रुपये। धारा 5-सी (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत जमा की जाने वाली आवश्यक राशि को उस उप-धारा के तहत जमा किया गया नहीं माना जाएगा, जब तक कि धारा 5-बी की उप-धारा (1) के तहत नामांकन पत्र की प्रस्तुति के समय उम्मीदवार के पास या तो

उस राशि को निर्वाचन अधिकारी के पास नकद में जमा किया या जमा कराया गया या नामांकन पत्र के साथ एक रसीद संलग्न की गई जिसमें दिखाया गया है कि -

17. एलतेमेश रीन बनाम। चंदूलाल चंद्राकर और अन्य। न्यायालय ने राय दी कि 1951 के अधिनियम की धारा 117 को संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के तहत शक्ति के स्रोत के रूप में अधिनियमित किया गया है। जो यह उपबंध करता है कि निर्वाचन याचिका को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और उस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके लिए उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए। उक्त मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी ने चुनाव याचिका में कहा कि उसने रुपये की प्रतिभूति राशि जमा की थी। 2000 / - 1951 के अधिनियम की धारा 117 के तहत याचिका के साथ, लेकिन वास्तव में, ऐसी कोई जमा राशि नहीं की गई थी। उसी के साथ व्यवहार करते हुए, न्यायालय ने व्यक्त कियाः

5 (1981) 2 एस. सी. सी. 689 सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" 3. एकमात्र सवाल जो बचा है वह यह है कि क्या है

अधिनियम की धारा 117 का पालन न करने का परिणाम। कि चरण में इस अदालत के फैसले से सवाल का निपटारा हो गया है।

अधिनियम की धारा 117 में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 86 (1) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय एक चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81,82 या 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करना। उस में

मामले को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने खारिज करने में सही था

चुनाव याचिका संक्षेप में "।

18. उपरोक्त प्राधिकारी से यह स्पष्ट है कि जमा करने में विफल रहने से संबंधित प्रावधान का अनुपालन करना होगा।

न्यायालय के पास चुनाव याचिका को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह लाभ के साथ ध्यान दिया जाए कि उक्त निर्णय एक ऐसी स्थिति से संबंधित था जहां चुनाव याचिका को प्रतिभूति जमा के भुगतान के साथ किया जाना था।

19. श्री जैन, प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रतिवादी ने पर्याप्त अनुपालन के संबंध में विवाद को आगे बढ़ाया है। उक्त निवेदन को मजबूत करने के लिए, चंद्रिका प्रसाद मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से अपार प्रेरणा मिली है।

त्रिपाठी बनाम. शिव प्रसाद चानपुरिया और अन्य। उक्त मामले में, न्यायालय 1951 के अधिनियम की धारा 117 के अपरिवर्तित प्रावधान पर विचार कर रहा था। न्यायालय ने के. कामराजा नादर (उपरोक्त) में पहले के निर्णय का उल्लेख किया और राय दी कि धारा 117 का सख्ती से या तकनीकी रूप से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और जहां भी यह दिखाया गया है कि इसकी आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन किया गया है, न्यायाधिकरण को तकनीकी आधार पर चुनाव याचिका को खारिज नहीं करना चाहिए। धारा 117 में प्रयुक्त भाषा को स्कैन करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनायाः

" ..... वास्तव में यह स्पष्ट है कि जिस रसीद से यह न्यायालय कामराज नादर (ऊपर) के मामले में संबंधित था, वह शायद थी। वर्तमान मामले में रसीद की तुलना में थोड़ा अधिक दोषपूर्ण है। "वापसी योग्य" शब्द के उपयोग पर आधारित तर्क इस तथ्य की अनदेखी करता है कि सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्नगत चुनाव याचिका के संबंध में किया गया है और इसे निर्वाचन आयोग के खाते में विधिवत जमा किया गया है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि चुनाव आयोग के लिए कोई अवसर उत्पन्न होता है

6 1959 एसयूपीपी (2) एससीआर 527:

सफल पक्ष को इस राशि के भुगतान के बारे में आदेश दें, "वापसी योग्य" शब्द के उपयोग से कोई कठिनाई नहीं होगी। हम मानते हैं कि प्रतिभूति प्रत्यर्थी द्वारा की गई है

1 अधिनियम की धारा 117 द्वारा आवश्यक और निपटान में होगा

वर्तमान कार्यवाही में चुनाव आयोग "।

20. उपरोक्त उक्ति के अवलोकन पर, हम यह कहना चाहते हैं कि उपरोक्त निर्णय को निर्धारित सिद्धांत के आधार पर अलग किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा चरण लाल साहू (I) (ऊपर) में।

21. एम. करुणानिधि बनाम। डॉ. एच. वी. हांडे और अन्य, दो न्यायाधीशों की पीठ 1951 के अधिनियम की धारा 117 की व्याख्या कर रही थी जिसमें सवाल यह उठा कि क्या उच्च न्यायालय का यह विचार व्यक्त करना उचित था कि रुपये जमा करने का तथ्य। 2,000 / - क्योंकि उच्च न्यायालय में लागत के लिए प्रतिभूति अनिवार्य थी और जमा करने का तरीका निर्देशिका था। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि

1951 के अधिनियम की धारा 117 की उप-धारा (1) के प्रावधान अनिवार्य हैं और इसलिए, इसका पालन न करने पर 1951 के अधिनियम की धारा 117 की उप-धारा (1) के तहत चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज करना पड़ता है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि क्या प्रावधान अनिवार्य है या नहीं और उस संदर्भ में, अभिनिर्धारित कियाः

" 20. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि रूप में एक अधिनियम अनिवार्य है

सार में निर्देशिका हो सकती है और "होगा" शब्द का उपयोग मामले को समाप्त नहीं करता है। व्याख्या का सामान्य नियम सर्वविदित है और यह विधायिका के सच्चे इरादे का पता लगाने के लिए एक सहायता है जो निर्धारण कारक है, और यह अंततः संदर्भ पर निर्भर करना चाहिए। पी पर सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड से निम्नलिखित मार्ग। 516 बाहर लाता है

नियमः

' यह सवाल कि क्या कोई क़ानून अनिवार्य है या निर्देशिका विधायिका के इरादे पर निर्भर करती है न कि उस भाषा पर जिसमें इरादे को पहना जाता है। विधायिका के अर्थ और इरादे को नियंत्रित करना चाहिए, और इन्हें न केवल प्रावधान के वाक्यांश विज्ञान से, बल्कि इसकी प्रकृति, इसकी रूपरेखा और इसके बाद होने वाले परिणामों पर विचार करके भी निर्धारित किया जाना चाहिए। एक या दूसरे तरीके से "।

7 (1983) 2 एस. सी. सी. 473 सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

इस परिच्छेद को यू. पी. बनाम राज्य में न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। मनबोधन लाल श्रीवास्तव 3, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय 'और रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। नगरपालिका

बोर्ड, रामपुर 1 0. मनबोधन लाल मामले में न्यायालय जहाँ संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) को निर्देशिका माना गया था और इसे अनिवार्य नहीं माना गया था, जो मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम में प्रिवी काउंसिल की निम्नलिखित टिप्पणियों पर निर्भर था। नॉर्मंडिन 1 1:

' यह सवाल कि क्या किसी क़ानून में प्रावधान निर्देशिका हैं या अनिवार्य हैं, इस देश में बहुत बार उठा है, लेकिन यह कहा गया है कि कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और हर मामले में क़ानून के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। द. इस विषय पर मामले मैक्सवेल ऑन स्टैट्यूट्स, 5 वीं संस्करण में एकत्र किए गए पाए जाएंगे। , पी। 596 और अगले पृष्ठ। जब किसी कानून के प्रावधान जनता के विधिवत प्रदर्शन से संबंधित होते हैं और मामला ऐसा होता है कि इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कृत्यों को अमान्य ठहराने से गंभीर सामान्य असुविधा होगी, या उन व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा जिन्हें कर्तव्य सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और साथ ही साथ विधानमंडल के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ऐसे प्रावधानों को केवल निर्देशिका के रूप में रखने की प्रथा रही है, उनकी उपेक्षा, हालांकि दंडनीय है, जो किए गए कार्यों की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। "

22. ऐसा कहने के बाद, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय (चुनाव याचिका) नियम, 1967 के नियम 8 का उल्लेख किया। यह ध्यान दिया जाए कि उक्त नियम जमा करने का तरीका निर्धारित करता है। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि यह कहना विरोधाभासी है कि इसमें धन जमा किया गया है। रिजर्व बैंक को पंजीयक, उच्च न्यायालय, मद्रास के खाते में जमा करने के लिए धारा 117 की उप-धारा (1) का पर्याप्त अनुपालन है, जब नियम 8 में प्रावधान है कि धन को उच्च न्यायालय में नकद में जमा किया जाना चाहिए, और यही धारा 117 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित एकमात्र तरीका है।

23. उक्त निवेदन को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहाः

" हम डरते हैं, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ए.

नियम 8 की शाब्दिक और यांत्रिक व्याख्या से बेतुकेपन को प्रकट करें क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि हर मामले में चुनाव

8 ए. आई. आर 1957 एस. सी. 912 9 आकाशवाणी 1961 एससी 751

10 ए. आई. आर 1965 एस. सी. 895

याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 117 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक लागतों के लिए प्रतिभूति के रूप में कुलसचिव को 2000 रुपये नकद का भुगतान करना होगा और उसके लिए उससे एक रसीद प्राप्त करनी होगी। नियम 8 इस बारे में मौन है कि नकदी को कैसे संभाला जाना है। आम तौर पर यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उच्च न्यायालय का पंजीयक प्रतिभूति जमा की राशि को नकद में स्वीकार करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में उच्च न्यायालय के पंजीयक के खाते में धन जमा करने के निर्देश में द्वितीय सहायक पंजीयक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया चुनाव याचिका नियमों के नियम 8 की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। चूंकि नियम 8 नकद जमा करने के तरीके को विनियमित करने की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, इसलिए यह मामला चुनाव याचिका नियमों के नियम 12 के कारण मद्रास उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 1956 के आदेश 31 के नियम 2 द्वारा शासित होता है। यद्यपि आदेश 31 नियम 2 शर्तों में लागू नहीं होता है क्योंकि आदेश 31 "दीवानी अदालत के जमा और दावेदारों के धन के खाते में धन के न्यायालय में भुगतान" से संबंधित है, और हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के अनुसरण के अलावा नियम 2 के तहत कोई आवेदन अनुसूची तैयार नहीं की जा सकती है, अर्थात कुछ कार्यवाही के संबंध में। उच्च न्यायालय द्वारा अभी भी नियम के आधार पर लंबित या निपटाया गया

अनुमोदन "नकद में प्राप्त", यह माना जाना चाहिए कि भुगतान उच्च न्यायालय में किया गया था और पूर्व-प्राप्त चालान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन को नियम 8 के संदर्भ में पंजीयक की रसीद के रूप में माना जाना चाहिए, रिजर्व बैंक उच्च न्यायालय के एजेंट के रूप में कार्य करता है।

यह ध्यान दिया जाए कि न्यायालय ने के. कामराज आर (उपरोक्त), चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी (उपर्युक्त), ओम प्रभा जैन में चांद और अन्य 1 2 और बुधि नाथ झा बनाम में अधिकारियों पर भरोसा किया। मणिलाल जादव 1 3 13

1959 एससी 837: 1959 एसयूपीपी (2) एससीआर 516

50) 22 ई. एल. आर. 86 सीताराम बनाम.

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

यह मत व्यक्त करना कि 1951 के अधिनियम की धारा 117 का कड़ाई से या तकनीकी रूप से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और इसकी आवश्यकता के पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त माना जाएगा। चरण लाल साहू (आई) (सुप्रा) और एलतेमेश रीन (सुप्रा) में निर्णयों पर चर्चा की गई। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि चुनाव याचिकाकर्ता को लागत के लिए प्रतिभूति के भुगतान से मुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

24. चूँकि हम केवल जमा राशि से संबंधित हैं, हम उपयोगी रूप से एम. वाई. घोरपड़े बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। शिवाजी राव एम. पोल और अन्य 1 4. उक्त मामले में, आवश्यकतानुसार सुरक्षा

1951 के अधिनियम की धारा 117 के तहत उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जमा किया गया था न कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा जो इस न्यायालय के समक्ष पहला प्रत्यर्थी था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि विचाराधीन जमा राशि याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी, और इसे चुनाव याचिका के खर्च के लिए प्रतिभूति के रूप में माना जाना था। उक्त उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय ने चंद्रिका में निर्णय पर भरोसा रखा था

प्रसाद त्रिपाठी (ऊपर) और अन्य निर्णय और एम. करुणानिधि (ऊपर) में अधिकार। इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि चरण लाल साहू (प्रथम) (उपर्युक्त) और एलतेमेश रीन (उपर्युक्त) की नींव,

उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार पूरी तरह से गलत था, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा की गई जमा राशि को कभी भी चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा जमा राशि के रूप में नहीं माना जा सकता था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1951 के अधिनियम की धारा 117 के उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए कहा कि धारा 117 का उद्देश्य तुच्छ चुनाव याचिकाओं का मनोरंजन करने को हतोत्साहित करना और उन दलों के पक्ष में लागत का प्रावधान करना है जो अंततः चुनाव याचिका में सफल होते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 117 की उप-धारा (2) उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाकर्ता को बुलाने के लिए अधिकृत करती है।

निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान ऐसी और प्रतिभूति देने के लिए जो तथ्यों के आधार पर आवश्यक हो और

मामले की परिस्थितियाँ। चरण लाल साहू (आई) (उपरोक्त) में निर्णय को अलग किया गया था क्योंकि यह जमा न करने का मामला था। एलतेमेश रीन (ऊपर) में प्राधिकरण को भी अलग किया गया था क्योंकि ऐसी कोई जमा राशि नहीं की गई थी, हालांकि याचिका में कहा गया था कि प्रतिभूति राशि जमा की जा रही थी। न्यायालय ने एम. करुणानिधि (ऊपर) पर भरोसा रखा और अंततः फैसला सुनाया किः

" इस न्यायालय ने के. कामराजा नादर बनाम के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय पर भरोसा किया। कुंजू थेवर जो एक मामला था अधिनियम की धारा 117 के प्रावधानों के तहत, जैसा कि यह पहले था

14 4 (2002) 7 एस. सी. सी. 289 [2018] 3 एस. सी. आर.

इसका संशोधन, जिसमें रसीद से भी पता चलता है कि जमा

किया गया था लेकिन यह नहीं दिखाया कि जमा किया गया था

चुनाव आयोग के सचिव के पक्ष में। इनमें से एक जो सवाल उठे वे थे कि क्या अभिव्यक्ति "के पक्ष में है

चुनाव आयोग ", धारा 117 में निहित, जैसा कि तब था,

धारा 117 का पहला भाग हालांकि अनिवार्य था, लेकिन बाद वाला नहीं। भाग। इस मुद्दे पर अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि 2000 रुपये की राशि जमा की जानी चाहिए, जबकि चुनाव याचिका दायर करना और यह निस्संदेह अनिवार्य है, लेकिन

जिनके माध्यम से राशि आदि जमा की जाएगी, उन्हें नहीं रखा जा सकता है। अनिवार्य होना चाहिए। "

(रेखांकित करना हमारा है)

उपरोक्त परिच्छेद से, यह आकर्षक है कि उस समय जमा होता था

एसेंटेशन अनिवार्य है लेकिन मोड नहीं है।

25. इस संबंध में हमारे लिए कई प्राधिकरणों की सराहना की गई है

एंटीअल अनुपालन और उपचार का सिद्धांत। हम उल्लेख कर सकते हैं

उनमें से।

26. टी. एम. जैकब बनाम सी. पौलोस और अन्य 1 5, संविधान

एच, डॉ. शिप्रा और अन्य बनाम में शपथ पत्र की सही प्रति से संबंधित दोषों से निपट रहे थे जिन्हें अनिवार्य माना गया था। शांति

खोइवाल और अन्य 1 6। वृहत पीठ ने इस प्रकार व्यक्त कियाः

" 40. हमारी राय में यह रूप में हर मामूली भिन्नता नहीं है, बल्कि केवल

पदार्थ में एक महत्वपूर्ण दोष जो गैर का पता लगा सकता है

अधिनियम की धारा 81 (3) के प्रावधानों का अनुपालन

धारा 86 (1) के अधीन आने वाले परिणाम। का वजन

प्राधिकरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक निश्चित मात्रा में लचीलापन है

धारा 86 (1) के तहत एक चुनाव याचिका को खारिज करना। अधिनियम, वास्तविक प्रतिलिपि में एक महत्वहीन परिवर्तन नहीं हो सकता है

एक घातक दोष के रूप में माना जाता है। हालाँकि, यह न तो वांछनीय है और न ही उन दोषों को सूचीबद्ध करना संभव है जिन्हें एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

जीवन्त प्रकृति या जो नहीं हैं। इस पर निर्भर करता है कि

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और कोई कठोर और तेज़ सूत्र नहीं निर्धारित किया जा सकता है। .....

* 9) 4 एस. सी. सी. 274

6) 5 एस. सी. सी. 181 सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

27. यह कहा जा सकता है कि उक्त मामले में अदालत ने मुरारका राधे श्याम राम कुमार मामले में संविधान पीठ के फैसले को संदर्भित किया।

वी. रूप सिंह राठौर और अन्य लोगों ने राय दी कि इसमें निर्धारित परीक्षण सही हैं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

28. जीएम में। सिद्धेश्वर बनाम. प्रसन्ना कुमार, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टी. एम. जैकब (उपरोक्त) का हवाला देते हुए कहा कि हलफनामे के सत्यापन में दोष चुनाव याचिका के लिए घातक नहीं है और इसे ठीक किया जा सकता है। अनिल वासुदेव के एक अंश का संदर्भ दिया गया था।

सालगांवकर बनाम। नरेश कुशाली शिगांवकर 1 9 जिसमें यह आयोजित किया गया हैः

" 50. स्थिति अच्छी तरह से तय है कि एक चुनाव याचिका को संक्षेप में खारिज किया जा सकता है यदि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं करती है। संहिता के तहत शक्तियों के प्रयोग में उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं यदि अधिनियम की धारा 83 द्वारा चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को शामिल करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

उनका पालन नहीं किया जाता है "।

29. ऐसा कहने के बाद, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनायाः

" 52. इन निर्णयों से उभरने वाले सिद्धांत यह हैं कि हालांकि अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों का पालन न करना एक उपचार योग्य दोष है, फिर भी इसके प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होना चाहिए। हालाँकि, यदि अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों का पूर्ण और पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता है, तो याचिका को चुनाव याचिका के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और

दहलीज पर खारिज कर दिया गया "।

30. हम तुरंत स्पष्ट कर सकते हैं कि उपरोक्त मामले 'सही प्रतिलिपि', 'सत्यापन', 'शपथ पत्र' और उपचार के सिद्धांत की प्रयोज्यता से संबंधित पर्याप्त अनुपालन से संबंधित हैं। जीएम में। सिद्धेश्वर (ऊपर), न्यायालय ने 1951 के अधिनियम की धारा 83 के प्रावधान के पूर्ण और पूर्ण गैर-अनुपालन के बीच अंतर किया, जिस पर चुनाव याचिका को चुनाव याचिका के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इसे सीमा पर खारिज किया जा सकता है। तत्काल मामले में, हम ट्रेजरी चालान द्वारा जमा राशि से संबंधित हैं जो चुनाव याचिका के साथ होगी। नियम स्पष्ट शब्दों में निर्धारित करता है कि न्यायाधिकरण अनुपालन न होने की स्थिति में याचिका को खारिज कर देगा। हमने धारा 117 के तहत प्रतिभूति जमा से संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया है।

17 एयर 1964 एससी 1545: 1964 (3) एससीआर 573 18 (2013) 4 एससीसी 776

19 (2009) 9 एस. सी. सी 310 [2018] 3 एस. सी. आर.

1951 एक्ट करें। वर्तमान नियम नगरपालिका चुनाव को संदर्भित करते हैं। यह योग्य है कि पैरा 15 में चुनाव याचिका में इस प्रकार कहा गया है:

" 15. उस आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान इस याचिका के साथ किया गया है। रु. 1000 / - कानून के अनुसार इस माननीय न्यायालय के समक्ष जमा किया गया है। इस याचिका की एक प्रति पहले ही जिले को भेजी जा चुकी है। निर्वाचन अधिकारी "।

1 , उन्होंने 1986 के नियमों पर भरोसा किया है। हम रहे हैं।नियम 252,253,260,261 और 262 के अनुरूप। हम समझते हैं कि उक्त नियमों को प्रस्तुत करना उचित है:

" 252. प्राप्तकर्ता अधिकारी की नियुक्ति। - (1) प्रत्येक नागरिक

न्यायालय या जहाँ दो या दो से अधिक न्यायालयों का कोषागार में एक ही खाता है, वहाँ न्यायालयों के प्रत्येक ऐसे समूह का एक अधिकारी होगा। न्यायालय में जमा किए गए धन की प्राप्ति का कार्य सौंपा गया।

(2) ऐसे अधिकारी को प्राप्तकर्ता अधिकारी के रूप में बुलाया जाएगा और सिविल कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा या जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों का कोषागार में एकल खाता होता है, उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा संबंधित जिला न्यायाधीश के निर्देशों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(3) ऐसे न्यायालय में जहां कोई अधिकारी विशेष रूप से प्राप्तकर्ता अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए या छुट्टी पर या अन्यथा प्राप्तकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति के दौरान नियुक्त नहीं किया जाता है, सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या प्राप्तकर्ता अधिकारी का पीठासीन अधिकारी। उच्च न्यायालय, यथास्थिति, प्राप्तकर्ता अधिकारी के कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करेगा।

(क) दीवानी न्यायालय में जमा राशि, जिसमें शामिल हैं: (i) फरमानों और आदेशों के तहत भुगतान की गई राशि; सीताराम v.

61

[दीपक मिश्रा, सीजेआई]

((ii) आदेश XX, नियम 14 और आदेश XXIV, A के तहत जमा की गई राशि।

सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 1 और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 83;

(iii) आदेश XXII, नियम 84 के तहत जमा की गई राशि या आदेश XXI, संहिता के नियम 85 के तहत भुगतान की गई राशि; (iv) भारतीय उत्तराधिकार की धारा 379 (1) के तहत जमा की गई राशि

बी.

(v) प्रतिभूति के बदले में जमा की गई राशि; (vi) भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी कानून के तहत जमा की गई राशि;

(ख) निम्न के लिए जमा सहित छोटी नकद जमाः

एस.

(i) यात्रा और गवाहों के अन्य खर्च;

((ii) निर्णय देनदारियों के लिए निर्वाह धन;

((iii) आयोगों, अमीनों और मध्यस्थों के आकस्मिक प्रभार।

आदि। ; ((iv) कमीशन शुल्क;

डी.

(v) डाक और पंजीकरण शुल्क;

(vi) घोषणा और आदेशों के प्रकाशन की लागत;

(2) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। ए. न्याय प्रशासन।

(क) सेवा और सेवा शुल्क;

ई.

(ख) जुर्माना और ज़ब्त; ((i)।

एफ.

((ii) सिविल और सत्र और अन्य न्यायिक न्यायालय। ((ग) अन्य रसीदें।

I. लावारिस और चोरी की गई संपत्ति की बिक्री आय

((i)।

((ii) सिविल और सत्र और अन्य न्यायिक न्यायालय।

जी.

II. गरीबों को कानूनी सहायता। III. अधिक भुगतान की वसूली।

((i)।

((ii) सिविल और सत्र और अन्य न्यायिक न्यायालय। IV. अन्य रसीदें।

((i)। ((ii) सिविल और सत्र और अन्य न्यायिक न्यायालय।

(घ) मुद्रांक शुल्क और दंड।

ध्यान दें: - उप-शीर्ष (ए), (बी) और (सी) को राज्य खाते में प्रमुख शीर्ष "065" अन्य प्रशासनिक सेवाओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। और उप-शीर्ष (घ) प्रमुख शीर्ष "0.30" डाक टिकट और पंजीकरण शुल्क "के तहत। बजट में जब भी इन प्रमुख प्रमुखों और उप-प्रमुखों को बदला जाएगा, तो उन्हें स्वतः ही बदला हुआ माना जाएगा।

(3) विभागीय नकदी जिसमें शामिल हैं:

((i) प्रतिष्ठान का वेतन। ((ii) यात्रा भत्ता।

((iii) आकस्मिकताएँ।

260. अदालत में धन के भुगतान का तरीका। - न्यायालय में धन का भुगतान आम तौर पर एक मुद्रित त्रिकोणीय प्रपत्र पर निविदा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक अदालती भाषा में निविदा के त्रिकोणीय प्रपत्र (एफ. 23) के कॉलम 1 से 4 में आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे। फिर आवेदक निविदा को मुनसरीम या संबंधित न्यायालय के पाठक को सौंप देगा, जैसा भी मामला हो।

261. अभिलेख के प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यालय की रिपोर्ट। - मुन्सिम या संबंधित न्यायालय का पाठक, जैसा भी मामला हो, तब मामले के अभिलेख के प्रभारी अधिकारी से एक कार्यालय रिपोर्ट के लिए बुलाएगा कि क्या भुगतान की राशि और प्रकृति और मुकदमे या कार्यवाही की संख्या, यदि कोई हो, सही है या नहीं और क्या भुगतान उस व्यक्ति से देय है जिसके खाते में यह भुगतान किया गया है। कोई भी आवश्यक सुधार किया जाएगा और मुनसारीम या संबंधित न्यायालय का पाठक, जैसा भी मामला हो, तब निविदा पर हस्ताक्षर करेगा और भुगतान की प्राप्ति के आदेश के पारित होने से पहले इसे चालान के रजिस्टर में दर्ज करेगा।

सीताराम वी. राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

262. भुगतान के लिए आदेश की तैयारी। – के लिए आदेश

प्राप्त भुगतान न्यायालय के कार्यालय में तैयार किया जाएगा और निविदा के डुप्लिकेट और ट्रिपल प्रपत्रों पर लगाया जाएगा, और प्राप्त करने वाले अधिकारी के नाम पर चलाया जाएगा

नियम 255,256 में विहित, 257. आदेश पर नियम 253 के हेड ऑफ अकाउंट (1) (ए) और (2) के तहत देय सभी राशि के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा और मुनसारीम या संबंधित अदालत के पाठक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे; जैसा भी मामला हो, सभी देय राशि के लिए। अधीन निविदा प्रपत्र मुनसारीम या संबंधित न्यायालय के पाठक को, जैसा भी मामला हो, भेजेगा। निविदा के तीसरे रूप को मुनसरीम या संबंधित न्यायालय के पाठक द्वारा हिरासत में रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो, और फिर वह निविदा की दूसरी प्रति आवेदक को वापस कर देगा और

मूल प्रति को रखने के लिए संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा।

संबंधित मामले की फाइल "।

32. इस संबंध में हमारा ध्यान भी जनरल को आमंत्रित किया गया है।

सी. आई. ए. एल. और लेखा नियम खंड I और खंड II। का नियम 54

नियम कोषागार में भुगतान से संबंधित हैं। नियम 56 से संबंधित है -

विभागीय अधिकारी द्वारा चालान की एनजी। उक्त नियम इस प्रकार हैं -

वीएसः

" नियम 54: (1) कोषागार या बैंक में धन का भुगतान नकद, ई-भुगतान, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक और डाक आदेशों के माध्यम से किया जा सकता है।

(2) चालनः इन नियमों में अन्यथा उपबंधित विषय, या

जब तक कि सरकार किसी विशेष वर्ग के संबंध में लेन-देन अन्यथा किसी भी व्यक्ति को पैसे का भुगतान करने के लिए निर्देशित करते हैं

कोषागार या सरकारी खातों पर बैंक एक प्रस्तुत करेगा

प्रपत्र जी. ए. 57 में चालान की प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है भुगतान, वह व्यक्ति या सरकारी अधिकारी जिसके खाते में यह किया जाता है, और इसकी तैयारी के लिए आवश्यक सभी जानकारी

उचित खाते के बदले में दी जाने वाली रसीद

ऋण का वर्गीकरण और जहां इसके आवंटन के लिए आवश्यक हो

सरकार और संबंधित विभागों के बीच। अलग करें।

चालानों का उपयोग विभिन्न शीर्षों को देय धन के लिए किया जाएगा। खाते।

ध्यान दें: हालांकि, ई-भुगतान के मामले में भौतिक चालान की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, निर्धारित विवरण आमतौर पर [2018] 3 एस. सी. आर. के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

भौतिक चालान, ई-भुगतान के एक स्क्रॉल में शामिल किया जाएगा

जो बैंक द्वारा प्रत्येक पर विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। ऋण के वर्गीकरण और ऋण की तैयारी के लिए कोषागार का पृष्ठ

सरकार के खाते।

XXX

XXX

XXX

नियम 56: विभागीय अधिकारी द्वारा चालान पर हस्ताक्षरः कब

धन का भुगतान एक निजी व्यक्ति द्वारा स्थित खजाने में किया जाता है

संबंधित विभागीय अधिकारी के समान स्थान

भुगतान, चालान बैंक, कोषागार को प्रस्तुत करने से पहले होगा

या बैंक पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर हों जिसके खाते में पैसा है।

श्रेय दिया जाता है। विभागीय अधिकारी विशेष रूप से जाँच करेगा। जमाकर्ता को दिए जाने से पहले वर्गीकरण। इस तरह के चालान

के हस्तक्षेप के बिना सीधे बैंक में प्राप्त किया जाएगा

कोषागार अधिकारी। ध्यान देंः चालान पर राजपत्रित सरकार द्वारा भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

आबकारी निरीक्षक, बालोत्रा और बीमा सहायक अधिकृत हैं। उत्पाद शुल्क राजस्व और जमा के लिए चालान पर हस्ताक्षर करना

राज्य बीमा के कारण पंचायत समिति या स्थानीय निकाय, आदि। "

33. इस संदर्भ में हम संविधान के नियम 83 और नियम 86 का भी उल्लेख कर सकते हैं।

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 (इसके बाद 2012 के रूप में संदर्भित)

एस ")। वे इस प्रकार पढ़ते हैंः

" 83. औपचारिक के तहत किसी भी वस्तु को जमा के रूप में जमा नहीं किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, सरकार को भुगतान किया गया राजस्व एक मांग जो अभी तक देय नहीं है, तुरंत उचित को जमा की जानी चाहिए

राजस्व प्रमुख, इसे जमा के रूप में मानने के बजाय।

XXX

XXX

XXX

अलग से कोषागार से जुड़ी एजेंसी बैंक में चालान के साथ भुगतान किया गया / प्रणाली द्वारा उत्पन्न चालान और अन्य निर्धारित दस्तावेज

प्रविष्टियों के लिए आवश्यक सभी विवरण निर्धारित करना

राजस्व जमा रजिस्टर। राजस्व जमा की प्रत्येक वस्तु, अन्य लोकसभा के चुनाव से संबंधित प्राप्त प्रतिभूति जमा की तुलना में, सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

टिप्पणियाँः 1. राजस्व जमा रजिस्टरों को हर साल खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पुराने रजिस्टरों में पर्याप्त संख्या में पृष्ठ उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जमा के प्रत्येक वर्ग के लिए हर साल संख्याओं की एक अलग श्रृंखला दी जा रही है। 2. "जमा की प्रकृति" कॉलम में प्रविष्टि पर्याप्त होनी चाहिए।

यह समझाने के लिए कि राशि क्यों जमा की जाती है।

3. प्रणाली संचालित वातावरण में, कोषागार अधिकारी प्राप्त प्रत्येक राजस्व जमा के लिए नया खाता बनाएगा। विशिष्ट जमा आईडी खाते के निर्माण के समय उत्पन्न की जाएगी जो धनवापसी के समय मूल जमा का लिंक प्रदान करेगी।

जमा "।

34. श्री जैन ने प्रपत्र जी. ए.-57 का उल्लेख किया है। उक्त प्रपत्र नकद चालान से संबंधित है। इसमें जमा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर का प्रावधान है। और जिसके पक्ष में जमा किया जा रहा है और जमा करने की अनुमति है। प्रपत्र में राशि और कुछ शीर्ष या श्रेणियों का भी प्रावधान है। सार में, निवेदन यह है कि 1986 के नियमों और 2012 के नियमों के संचयी पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित न्यायालय या प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई जमा नहीं हो सकता है। अशोक कुमार बनाम में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय से समर्थन प्राप्त किया गया है। ए. डी. जे. नंबर 2 चित्तौड़गढ़ और

अन्य 20 जिसमें उच्च न्यायालय ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव के नियम 85 पर विचार कर रहा था। कार्रवाई के तहत चुनौती दी गई थी

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 और राजस्थान पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 (संक्षेप में, "1994 नियम") में निहित प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में मुद्दा उठा। 1994 के नियमों के नियम 81 (2) में प्रावधान है कि कोई भी याचिका चुनाव नियमों के तहत तब तक प्रस्तुत नहीं की गई मानी जाएगी जब तक कि -

22016 के 0 सिविल रिट (सी. डब्ल्यू.) No.7637 ने 8.8.2016 [2018] 3 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

याचिकाकर्ता रुपये की राशि जमा करता है। 50 / - विरोधी पक्ष की लागतों के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से याचिका के साथ। उक्त मामले में, चुनाव याचिका 28.02.2015 पर दायर की गई थी, लेकिन याचिका के साथ लागत जमा नहीं की गई थी और उन्हें 12.03.2015 पर जमा किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने जमा के लिए चालान/निविदा 28.02.2015 पर ही जमा कर दी थी, लेकिन चुनाव न्यायाधिकरण ने खजाने में लागत जमा करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था और इसलिए, उसे उस दिन जमा नहीं किया जा सकता था और आदेश पारित होने के बाद जमा किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने चुनाव नियमों के नियम 85 पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया है कि मुकदमों के संबंध में सी. पी. सी. में प्रदान की गई प्रक्रिया को जहां तक लागू किया जा सकता है, लागू किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि जमा राशि रुपये से अधिक है। 25 / - , इसे कोषागार में तभी जमा किया जा सकता है जब न्यायालय या मुनसारीम या संबंधित न्यायालय के पाठक द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

35. इस संबंध में, श्री सिंह ने गुलाब सिंह बनाम मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया है। द मुन्सिफ

और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और अन्य 2 1 21। उक्त मामले में, विद्वत एकल न्यायाधीश राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत चुनाव नियम, 1960 के नियम 79 (2) और (3) के तहत प्रदान की गई प्रतिभूति जमा राशि से निपट रहा था। उक्त मामले में, बाद में जमा किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि वही मामले के लिए घातक था क्योंकि प्रावधान अनिवार्य है। उक्त नियमों का नियम 79 (2) इस प्रकार हैः

" 79 (2) इन नियमों के तहत कोई भी याचिका तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि याचिकाकर्ता इसके विपरीत लागतों के लिए प्रतिभूति के रूप में याचिका के साथ Rs.50/- की राशि जमा नहीं करता है।

पार्टी "।

36. विद्वान एकल न्यायाधीश ने चरण लाल साहू पर भरोसा रखा

(II) (उपर्युक्त) और यह अभिनिर्धारित करने के लिए आया कि याचिका के साथ प्रतिभूति जमा करने के संबंध में नियम 79 (2) अनिवार्य है और क्योंकि तथ्यों पर यह है

इस बात पर विवाद नहीं है कि 21 फरवरी, 1978 को जब चुनाव याचिका दायर की गई थी, तो इसे रुपये की जमा राशि के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। 50 / - विपरीत पक्ष की लागत के लिए आवश्यक, कानूनी और तार्किक परिणाम

यह माना जा सकता है कि चुनाव याचिका राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (चुनाव) नियम, 1960 के नियम 79 (2) के अधिदेश के अनुसार नियमों के तहत प्रस्तुत की गई थी। इस दृष्टिकोण के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष कोई वैध चुनाव याचिका नहीं थी। 21 1981 डब्ल्यू. एल. एन. (यू. सी.) 78 सीताराम बनाम।

राधेश्याम श्याम वैष्णव और ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

37. ऊपर की चर्चा को तीन खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जमा अनिवार्य है और जमा का तरीका निर्देशिका है; दूसरा, गैर-जमा में बर्खास्तगी होगी और अनियमित जमा का इलाज किया जा सकता है और तीसरा, सत्यापन, पक्षों के हस्ताक्षर जैसे अन्य क्षेत्रों में,

और अन्य 22 जहां चुनाव याचिका 31.8.2005 पर प्रस्तुत की गई थी और 1959 के अधिनियम की धारा 53 के तहत 30.8.2005 पर नीचे दी गई अदालत के समक्ष अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और अदालत द्वारा उसी आवेदन पर 30.8.2005 पर एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अधिवक्ता को चुनाव याचिका के लिए 1959 के अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रतिभूति राशि जमा करने की अनुमति दी गई थी। चुनाव याचिका 31.8.2005 पर प्रस्तुत की गई थी। ऐसी तथ्यपूर्ण स्थिति में, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रावधान का अनुपालन किया गया था। 38. श्री जैन प्रस्तुत करेंगे कि यह कोई लाइलाज दोष नहीं है क्योंकि जमा सीमा की अवधि के भीतर किया गया है। ने कहा कि

प्रस्तुतिकरण हमें अप्रभावित छोड़ देता है क्योंकि नियम 7 न्यायाधीश के पास याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है। इस प्रकार, ध्यान दिया जा रहा है

दोनों नियमों में प्रयुक्त भाषा में, हम कोषागार चालान जमा करने के लिए बाध्य हैं जिसका अर्थ है चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय कोषागार में धन जमा करना इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि कोई वैध चयन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, विद्वान अतिरिक्त जिला चुनाव याचिका को अस्वीकार करने के लिए कानून में बाध्य है।

39. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने की अनुमति देते हैं जिसमें पुष्टि की गई है

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिसके परिणामस्वरूप एल अस्वीकार कर दिया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी